न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मोहरबाई बनाम धनबाई मु.नं.– 20/25 किस्म – (विविध)	

20.02.26

अभिभाषकों के द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-3-26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

13.03.26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र O9 R9 CPC पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रा.पत्र अन्तर्गत O9 R9 CPC से सम्बन्धित मूल दावा पत्रावली मु.नं. 231/21 उनवान मोहरबाई बनाम धनबाई दिनांक 11.3.2020 से लम्बे समय से साक्ष्य वादी में लंबित होने से एवं निर्देशों की अवहेलना से ~~प्रार्थ~~ पक्षकारान की अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 11.2.25 को खारिज हो गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O9 R9 CPC में दर्शित यह कारण कि वादिया को अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया था। वादिया वृद्ध महिला है जो चलने फिरने में असमर्थ है एवं वादिया ने अदालत में आकर अपने मुकदमा की जानकारी की, स्वीकार योग्य नहीं है। ~~इसके~~ अतः इसलिए प्रार्थिया का प्रा.पत्र O9 R9 CPC खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थिया का प्रा.पत्र O9 R9 CPC अस्वीकार किया जाकर खारिज (Reject) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)